भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3933

उत्तर देने की तारीख: 28.03.2022

बिना सुविधाओं वाले केंद्रीय विद्यालय

†3933. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक केवीएस मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन क्लास सहित अपने शिक्षण क्लास लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो साप्ताहिक/मासिक आधार पर आवंटित क्लास का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शिक्षण क्लास की निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी केवीएस के उच्च अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क(और)ख(: केन्द्रीय विद्यालय संगठन)केविसं(ने सूचित किया है कि अभ्यास के अनुसार, प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों द्वारा कक्षाएं लेने के लिए निम्नलिखित अनुसूची का पालन किया जाना आवश्यक है:

प्रधानाचार्य	-	5 पीरियड्स प्रति सप्ताह
उप- प्रधानाचार्य	-	22 पीरियड्स प्रति सप्ताह
प्रधानाध्यापक	-	16 पीरियड्स प्रति सप्ताह

(ग(और)घ(सहायक आयुक्तों एवं उपायुक्तों के दौरों/निरीक्षणों के दौरान संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राचार्यों की निगरानी की जा रही है तथा उप- प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के लिए यह कार्य संबंधित प्रधानाचार्यों द्वारा किया जा रहा है।

*****